रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-27122025-268846
CG-TL-E-27122025-268846

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5813] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2025/पौष 3, 1947
No. 5813] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025/PAUSHA 3, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

सिकंदराबाद, 24 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6012(अ).—भारत सरकार, रेल मंत्रालय की वह अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप- खंड (ii) में दिनांक अगस्त 6, .आ.को का 20253611(अ), दिनांक अगस्त 6, .आ.को का 20253612 (अ) अगस्त 6 तथा दिनांक, 2025 को का. आ. 3613 के अंतर्गत प्रकाशित की गई है (अ), जो "आंध्र प्रदेश राज्य के बापटला ज़िले में समपारों के स्थान पर सड़क उपरि सेतु के निर्माण" से संबंधित है, के संबंध में रेल मंत्रालय एतद्वारा निम्नलिखित शुद्धिपत्र, यथा नीचे विवरणानुसार, जारी करता है :

क्र.सं.	इस रूप में प्रकाशित	इस प्रकार पढ़ा जाए
1	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की दिनांक 6 अगस्त, 2025 को का.आ. 3611(अ) के अंतर्गत धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा, "तेनाली–निदुब्रोलू के बीच कि.मी. 383/04-06 पर स्थित रेलवे फाटक संख्या 275 पर 2-लेन रोड ओवर ब्रिज का निर्माण" को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में भूमि अधिग्रहण हेतु	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की दिनांक 6 अगस्त, 2025 को का.आ. 3611(अ) के अंतर्गत धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा, "तेनाली–निदुब्रोलू के बीच कि.मी. 383/04-06 पर स्थित रेलवे फाटक संख्या 275 पर 2-लेन रोड ओवर ब्रिज का निर्माण" को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के बापटला जिले में भूमि अधिग्रहण

	आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।	हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।
2	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की दिनांक 6 अगस्त, 2025 को का.आ. 3612(अ) के अंतर्गत धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा, "तेनाली–निदुब्रोलू के बीच कि.मी. 386/10-12 पर स्थित रेलवे फाटक संख्या 278 पर 2-लेन रोड ओवर ब्रिज का निर्माण" को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिला में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूपमें अधिसूचित करती है।	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की दिनांक 6 अगस्त, 2025 को का.आ. 3612(अ) के अंतर्गत धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा, "तेनाली–निदुब्रोलू के बीच कि.मी. 386/10-12 पर स्थित रेलवे फाटक संख्या 278 पर 2-लेन रोड ओवर ब्रिज का निर्माण" को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के बापटला जिला में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूपमें अधिसूचित करती है।
3	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की दिनांक 6 अगस्त, 2025 को का.आ. 3613(अ) के अंतर्गत धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा, "तेनाली–निदुब्रोलू के बीच कि.मी. 389/32-34 पर स्थित रेलवे फाटक संख्या 281 पर 2-लेन रोड ओवर ब्रिज का निर्माण" को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिला में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की दिनांक 6 अगस्त, 2025 को का.आ. 3613(अ) के अंतर्गत धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा, "तेनाली–निदुब्रोलू के बीच कि.मी. 389/32-34 पर स्थित रेलवे फाटक संख्या 281 पर 2-लेन रोड ओवर ब्रिज का निर्माण" को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के बापटला जिला में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. RSP/SC/Gazette/37A/BPP/BZA-GDR/BZA/Corr/01]

मनोज कुमार, मुख्य इंजीनियर/नि/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railways)

CORRIGENDUM

Secunderabad, the 24th December, 2025

S.O. 6012(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Railways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 6th August 2025 vide S.O. 3611(E), dated 6th August 2025 vide S.O. 3612(E) and dated 6th August 2025 vide S.O. 3613(E) regarding "Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossings in the District of Bapatla, in the State of Andhra Pradesh" the Ministry of Railways hereby makes the following corrigendum as detailed below:

Sl.No.	**Published as**	**To be read as**
1	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 Dated 6th August 2025 vide S.O. 3611(E) of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Construction of 2-lane Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 275 at Km. 383/04-06 between Tenali – Nidubrolu stations" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of Guntur for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 Dated 6th August 2025 vide S.O. 3611(E) of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Construction of 2-lane Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 275 at Km. 383/04-06 between Tenali – Nidubrolu stations" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of Bapatla for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in theOfficial Gazette.
2	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 Dated 6th August 2025 vide S.O. 3612(E) of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Construction of 2-lane Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 278 at Km. 386/10-12 between Tenali – Nidubrolu stations" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of Guntur for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 Dated 6th August 2025 vide S.O. 3612(E) of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Construction of 2-lane Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 278 at Km. 386/10-12 between Tenali – Nidubrolu stations" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of Bapatla for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
3	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 Dated 6th August 2025 vide S.O. 3613(E) of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Construction of 2-lane Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 281 at Km. 389/32-34 between Tenali – Nidubrolu stations" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of Guntur for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 Dated 6th August 2025 vide S.O. 3613(E) of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Construction of 2-lane Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 281 at Km. 389/32-34 between Tenali – Nidubrolu stations" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of Bapatla for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. RSP/SC/Gazette/37A/BPP/BZA -GDR/BZA/Corr/01]

MANOJ KUMAR, Chief Engineer/C/RSP

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.12.27 09:56:29 +05'30'